नेशनल लोक अदालत खंडपीठ कमांक 05 छतरपुर, म0प्र0

Registration No. MACC/17/2023
Filing No.MACC/979/2022
CNR No. MP1601-005062-2022
Date of Filing-12/09/2022

1. रामसनेही पटेल तनय रामनाथ पटेल आयु 42 वर्ष,

2.. श्रीमती राजकुमारी पटेल पत्नी रामसनेही पटेल आयु 40 वर्ष, दोनों निवासीगण ग्राम परा पोस्ट विक्रमपुर थाना राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0

.............**आवेदकगण**

वि रू द्ध

01. भागीरथ अहिरवार तनय रामसेवक अहिरवार निवासी ग्राम कर्री तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 चालक/मालिक वाहन पिकअप कमांक यूपी 77ए.एन./3515

02. प्रबंधक, फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि0 यूनिट नंबर 310 तृतीय फ्लोर साईवर हाईट विभूति खंड गौमति नगर लखनउ उ0प्र0

.... **अनावेदकगण**

//अवार्ड//

(आज दिनांक 09.12.2023 को पारित किया गया)

1. आवेदकगण ने यह आवेदन पत्र धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1966 के अंतर्गत अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि 76,50,,000/—रूपये प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है।

2. आवेदकगण एवं अनावेदकगण की ओर से बीमा कंपनी जिसके द्वारा वाहन का बीमा किया गया है, ने समझौता पत्र प्रस्तुत किया है कि उभयपक्ष के मध्य लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौता हो चुका है तथा आपसी समझौते के अधीन आवेदकगण एकमुश्त रूपये 10,00,000/—(दस लाख) रूपये मात्र लेकर प्रकरण में समझौता करना चाहते हैं।

3. समझौते के लिए प्रस्तुत किया गया समझौता पत्र विचारार्थ लिया गया, समझौते का सत्यापन संबंधित पक्षकारों ने किया, खण्डपीठ को संतोष है कि राजीनामा स्वेच्छया से किया गया है एवं विधिपूर्ण है।

4. अतः यह अवार्ड पारित किया जाता है कि अनावेदक प्रबंधक, फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि0 यूनिट नंबर 310 तृतीय फ्लोर साईवर हाईट विभूति खंड गौमति नगर लखनउ उ0प्र0 **10,00,000/—(दस लाख)** रूपये आज दिनांक 09.12.2023 से दो माह के अंदर भुगतान करने हेतु अधिकरण में जमा करावें। यदि दो माह के उपरांत भी राशि जमा नहीं करायी गयी तो आवेदन प्रस्तुति दिनांक से

अदायगी दिनांक तक अवार्ड राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी अनावेदक/बीमा कंपनी को देना होगा। अंतरिम अवार्ड राशि का यदि आवेदकगण को भुगतान किया गया हो तो उक्त राशि इस अवार्ड में समायोजित होगी।

5. इस प्रकार आवेदकगण को प्राप्त होने वाली कुल क्षतिपूर्ति राशि में से 50 प्रतिशत की राशि आवेदक क्रमांक 1 रामसनेही को प्राप्त होगी तथा उसे प्राप्त होने वाली राशि में से 50 प्रतिशत की राशि उसके बैंक खाते के माध्यम से नगद दी जाए तथा शेष 50 प्रतिशत की राशि की एफ.डी. तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा कराई जावे।

6. क्षतिपूर्ति राशि में से 50 प्रतिशत की राशि आवेदिका क्रमांक 2 श्रीमती राजकुमारी को प्राप्त होगी तथा उसे प्राप्त होने वाली राशि में से 50 प्रतिशत की राशि उसके बैंक खाते के माध्यम से नगद दी जाए तथा शेष 50 प्रतिशत की राशि की एफ.डी. तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा कराई जावे।

7. उभय पक्ष अपना–अपना व्यय वहन करेंगे। यह अवार्ड धारा 21 विधिक सेवा अभिकरण अधिनियम क्रमांक 39/1987 के अनुसार डिक्री का स्थान रखेगा।

सही/–
(सूरज सिंह राठौर अधिवक्ता)
सदस्य
नेश0लो0अदालत खंडपीठ क्र05
छतरपुर म0प्र0

सही/–
(हिमांशु शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
नेश0लो0अदालत खंडपीठ क्र05
छतरपुर म0प्र0